

भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के लिए  
असाधारण भाग III खंड 4  
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना


नई दिल्ली, 31 मार्च 2022

क्रमांक सी-3/7/(5)/2021- एफईए-1- धारा 11 की उप-धारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खंड (बी) के उप-खंड (i) के साथ पठित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की उक्त धारा की उप-धारा (1) के अनुसार, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश देता है, अर्थात्:-

दूरसंचार टैरिफ ( सड़सठवां संशोधन) आदेश, 2022  
(2022 का 02 )

- संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ:
  - इस आदेश को दूरसंचार टैरिफ (सड़सठवां संशोधन) आदेश, 2022 कहा जा सकता है।
  - यह आदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।
- दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 के खंड 6 में, \_\_\_\_\_
  - उपखंड (xii) को हटा दिया जाएगा;
  - इस आदेश के प्रारंभ होने की तारीख से 60 दिनों के बाद, उप-खंड (xi) के बाद, निम्नलिखित उप-खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(xii) प्रत्येक दूरसंचार सेवा प्रदाता कम से कम एक प्लान वाउचर, एक स्पेशल+ टैरिफ वाउचर और एक कॉम्बो वाउचर की पेशकश करेगा जिसका हर महीने की एक ही तारीख को नवीकरणीय होगा और यदि इस तरह के नवीनीकरण की तारीख किसी महीने में उपलब्ध नहीं है, तो उस महीने की आखिरी तारीख नवीनीकरण की तारीख होगी।"



(कौशल किशोर)  
सलाहकार (एफ एंड ईए)

कौशल किशोर / KAUSHAL KISHORE  
सलाहकार (एफ-एंड ई.ए.) / Advisor (F&EA)  
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण  
Telecom Regulatory Authority of India  
महानगर दूरसंचार भवन / M.D.S. Bhawan  
नई दिल्ली-110002 / New Delhi-110002

नोट 1 - दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या 99/3 दिनांक 9 मार्च, 1999 के तहत प्रकाशित किया गया था, और बाद में नीचे दिए गए अनुसार संशोधित किया गया था: -

संशोधन क्र.	अधिसूचना संख्या और तिथि
1ला	301-4/99-ट्राई (ईकॉन) दिनांक 30.3.1999
2रा	301-4/99-ट्राई (ईकॉन) दिनांक 31.5.1999
3रा	301-4/99-ट्राई (ईकॉन) दिनांक 31.5.1999
4था	301-4/99-ट्राई (ईकॉन) दिनांक 28.7.1999
5वां	301-4/99-ट्राई (ईकॉन) दिनांक 17.9.1999
6वां	301-4/99-ट्राई (ईकॉन) दिनांक 30.9.1999
7वां	301-8/2000-ट्राई (ईकॉन) दिनांक 30.3.2000
8वां	301-8/2000-ट्राई (ईकॉन) दिनांक 31.7.2000
9वां	301-8/2000-ट्राई (ईकॉन) दिनांक 28.8.2000
10 वां	306-1/99-ट्राई (ईकॉन) दिनांक 9.11.2000
11 वां	310-1(5)/ट्राई-2000 दिनांक 25.1.2001
12 वां	301-9/2000-ट्राई (ईकॉन) दिनांक 25.1.2001
13 वां	303-4/ट्राई-2001 दिनांक 1.5.2001
14 वां	306-2/ट्राई-2001 दिनांक 24.5.2001
15 वां	310-1(5)/ट्राई-2000 दिनांक 20.7.2001
16 वां	310-5(17)/2001-ट्राई (ईकॉन) दिनांक 14.8.2001
17 वां	301/2/2002-ट्राई (ईकॉन) दिनांक 22.1.2002
18 वां	303/3/2002-ट्राई (ईकॉन) दिनांक 30.1.2002
19 वां	303/3/2002-ट्राई (ईकॉन) दिनांक 28.02.2002
20 वां	312-7/2001-ट्राई (ईकॉन) 14.3.2002
21 वां	301-6/2002-ट्राई (ईकॉन) दिनांक 13.6.2002
22 वां	312-5/2002-ट्राई (ईको) दिनांक 4.7.2002

99

काशाल किशोर / KAUSHAL KISHORE  
सलाहकार (एन.डी.ई.ए.)/Advisor (F&E)  
भारतीय दूरसंचार धनियमक प्राधिकरण  
Telecom Regulatory Authority of India  
महामंत्र दूरसंचार भवन / M.D.S. Bhawan  
नई दिल्ली-110002 / New Delhi-110002

23 वां	303/8/2002-ट्राई (इकाँन) दिनांक 6.9.2002
24 वां	306-2/2003-इकाँन दिनांक 24.1.2003
25 वां	306-2/2003-इकाँन दिनांक 12.3.2003
26 वां	306-2/2003-इकाँन दिनांक 27.3.2003
27 वां	303/6/2003-ट्राई (इकाँन) दिनांक 25.4.2003
28 वां	301-51/2003-इकाँन दिनांक 5.11.2003
29 वां	301-56/2003-इकाँन दिनांक 3.12.2003
30 वां	301-4/2004(इकाँन) दिनांक 16.1.2004
31 वां	301-2/2004-इको दिनांक 7.7.2004
32 वां	301-37/2004-इको दिनांक 7.10.2004
33 वां	301-31/2004-इको दिनांक 8.12.2004
34 वां	310-3(1)/2003-इको दिनांक 11.3.2005
35 वां	310-3(1)/2003-इको दिनांक 31.3.2005
36 वां	312-7/2003-इको दिनांक 21.4.2005
37 वां	312-7/2003-इको दिनांक 2.5.2005
38 वां	312-7/2003-इको दिनांक 2.6.2005
39 वां	310-3(1)/2003-इको दिनांक 8.9.2005
40 वां	310-3(1)/2003-इको दिनांक 16.9.2005
41 वां	310-3(1)/2003-इको दिनांक 29.11.2005
42 वां	301-34/2005-इको दिनांक 7.3.2006
43 वां	301-2/2006-इको दिनांक 21.3.2006
44 वां	301-34/2006-इको दिनांक 24.01.2007
45 वां	301-18/2007-इको दिनांक 5.6.2007
46 वां	301-36/2007-इको दिनांक 24.01.2008
47 वां	301-14/2008-इको दिनांक 17.3.2008
48 वां	301-31/2007-इको दिनांक 1.9.2008
49 वां	301-25/2009-ईआर दिनांक 20.11.2009
50 वां	301-24/2012-ईआर दिनांक 19.4.2012
51 वां	301-26/2011-ईआर दिनांक 19.4.2012
52 वां	301-41/2012-एफ एंड ईए दिनांक 19.09.2012
53 वां	301-39/2012-एफ एंड ईए दिनांक 1.10.2012
54 वां	301-59/2012-एफ एंड ईए दिनांक 05.11.2012

*(Handwritten Signature)*

काशुल किशोर / KAUSHAL KISHORE  
सलाहकार (एफ. एंड ई. ए.) / Advisor (F&EA)  
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण  
Telecom Regulatory Authority of India  
महानगर दूरसंचार भवन / M.D.S. Bhawan  
नई दिल्ली-110002 / New Delhi-110002

55 वां	301-10/2012-एफ एंड ईए दिनांक 17.06.2013
56 वां	301-26/2012-ईआर दिनांक 26.11.2013
57 वां	312-2/2013-एफ एंड ईए दिनांक 14.07.2014
58 वां	312-2/2013- एफ एंड ईए दिनांक 01.08.2014
59 वां	310-5 (2)/2013-एफ एंड ईए दिनांक 21.11.2014
60 वां	301-16/2014-एफ एंड ईए दिनांक 09.04.2015
61 वां	301-30/2016-एफ एंड ईए दिनांक 22.11.2016
62 वां	301-30/2016-एफ एंड ईए दिनांक 27.12.2016
63 वां	312-1/2017-एफ एंड ईए दिनांक 16.02.2018
64 वां	301-20/2018-एफ एंड ईए दिनांक 24.09.2018
65 वां	301-03/2020-एफ एंड ईए दिनांक 03.06.2020
66 वां	सी-3/7/(5)/2021-एफईए-1 दिनांक 27.01.2022

नोट 2. - व्याख्यात्मक ज्ञापन दूरसंचार टैरिफ ( सड़सठवां संशोधन) आदेश, 2022 का कारण बताता है।

### विवरणात्मक ज्ञापन

भादूविप्रा ने टीटीओ, 1999 के खंड 6 में उप खंड (xi) और (xii) सम्मिलित किए हैं जो प्रदान करता है कि:

(xi) प्रत्येक दूरसंचार सेवा प्रदाता (टी. एस. पी.ज.) तीस दिनों की वैधता वाले कम से कम एक प्लान वाउचर (पी. वी.), एक स्पेशल टैरिफ वाउचर (एस.टी.वी.) और एक कॉम्बो वाउचर (सी. वी.) की पेशकश करेगा।


(xii) प्रत्येक दूरसंचार सेवा प्रदाता (टी. एस. पी.ज.) कम से कम एक प्लान वाउचर (पी. वी.) , एक स्पेशल टैरिफ वाउचर (एस.टी.वी.) और एक कॉम्बो वाउचर (सी. वी.) की पेशकश करेगा जिसका हर महीने की एक ही तारीख को नवीकरणीय होगा।

टीटीओ (66वां संशोधन) आदेश के जवाब में, भादूविप्रा को बीएसएनएल/वीआईएल/सीओएआई से पत्राचार प्राप्त हुआ है जो इस प्रकार है:

### **बीएसएनएल**

यदि कोई ग्राहक 29/30 या 31 जनवरी को रिचार्ज करता है, तो रिचार्ज की अगली देय तिथि क्या होनी चाहिए;

यदि ग्राहक 31 मार्च, 31 मई, 31 अगस्त और 31 अक्टूबर को रिचार्ज करता है, तो रिचार्ज के लिए अगली देय तिथि क्या होनी चाहिए

  
 कौशल किशोर / KAUSHAL KISHORE  
 सलाहकार (एफ. एंड ई. ए.) / Advisor (F&EA)  
 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण  
 Telecom Regulatory Authority of India  
 महानगर दूरसंचार भवन / M.D.S. Bhawan  
 नई दिल्ली-110002 / New Delhi-110002

## वीआईएल

वीआईएल ने कहा है कि वे उपर्युक्त टीटीओ (66वां संशोधन) आदेश के तहत निर्धारित आवश्यकताओं को निम्नलिखित के अनुसार पूरा करेंगे:

तीस दिनों की वैधता वाले कम से कम एक प्लान वाउचर (पी. वी.), एक स्पेशल टैरिफ वाउचर (एस.टी.वी.) और एक कॉम्बो वाउचर (सी. वी.) के संबंध में, वे आवश्यकताओं को पूरा करेंगे और टीटीओ 66वें संशोधन के तहत प्रदान की गई दो महीने की समयावधि के भीतर, अपने सभी लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों में इसे बाजार में उपलब्ध कराएंगे। वीआईएल 30 दिनों का एसटीवी चला रहा है, जिसकी कीमत 6 महीने से उनके सभी लाइसेंस प्राप्त क्षेत्रों में 327 रुपये है।

कम से कम एक प्लान वाउचर (पी. वी.), एक स्पेशल टैरिफ वाउचर (एस.टी.वी.) और एक कॉम्बो वाउचर (सी. वी.) के संबंध में जिनका हर महीने की एक ही तारीख को नवीकरणीय होगा, वे आवश्यकता को पूरा करेंगे और तीन लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों में टीटीओ 66वें संशोधन के तहत प्रदान की गई दो महीने की समय अवधि के भीतर बाजार में इसे लागू कर देंगे। शेष लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों में, उनके पास तकनीकी व्यवहार्यता (टेक्निकल फिजिबिलिटी) के मुद्दे हैं, जिन पर काम किया जा रहा है और इसके समाधान में भादूविप्रा द्वारा निर्धारित दो महीने के समय सीमा से अधिक समय लगने की उम्मीद है। मेसर्स वीआईएल ने सभी एलएसए के लिए कार्यान्वयन की संभावित तिथि को दर्शाते हुए एक अस्थायी चार्ट प्रदान किया है जिसमें दर्शाया गया है की कार्यान्वयन समय सीमा मई 2023 तक बढ़ सकती है।

उपरोक्त मुद्दों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने टीटीओ 66वें संशोधन (हर महीने की एक ही तारीख पर रिचार्ज) के प्रावधानों को पूरा करने के लिए समय बढ़ाने का अनुरोध किया है, जब तक शेष 19 लाइसेंसीकृत सेवा क्षेत्रों में तकनीकी व्यवहार्यता के मुद्दे का समाधान नहीं हो जाता।

## सीओएआई

सीओएआई का विचार है कि टीटीओ के खंड 6 (xii) के संबंध में, प्रत्येक माह के एक ही दिन को नवीकरणीय उपलब्धता के लिए टैरिफ वैधता संरचना में कोई परिवर्तन करने के लिए, उपभोक्ता जागरूकता, प्रीपेड बिलिंग सिस्टम में भारी बदलाव, अपने और तीसरे पक्ष के चैनलों में प्रकाशन और खुदरा चैनल शिक्षा के मामले में बड़े प्रयासों की आवश्यकता होगी।

2. इसके अलावा, चूंकि एक कैलेंडर माह के दिन स्थिर नहीं होते हैं (अर्थात 28/29/30/31 दिन), ग्राहक रिचार्ज नवीनीकरण तिथि को महीने के प्रत्येक दिन किए गए रिचार्ज के लिए स्थिर नहीं रखा जा सकता है। यह किसी विशेष महीने में दिनों की संख्या के आधार पर महीने-दर-महीने अलग-अलग होगा।


3. उन्होंने आगे कहा है कि टीएसपी किसी विशेष महीने में दिनों की संख्या से संबंधित किसी भी उपभोक्ता/प्रक्रिया उलझन से बचने के लिए नीचे उल्लिखित दृष्टिकोण के अनुसार उक्त भादूविप्रा आदेश को लागू करने की प्रक्रिया में हैं:

(a) किसी भी महीने की तारीख 1 से 28 तारीख तक किए गए सभी रिचार्ज के लिए नवीनीकरण की तारीख साल के प्रत्येक महीने के लिए समान रहेगी।

(b) 29/30/31 जनवरी को रिचार्ज किए गए टैरिफ वाउचर की समाप्ति 28/29 फरवरी को होगी।

(c) 31 मार्च, मई, अगस्त और अक्टूबर को रिचार्ज किए गए टैरिफ वाउचर की समाप्ति उसके बाद के महीनों यानी 30 अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर को होगी।

उन्होंने आगे प्रस्तुत किया है कि उक्त टैरिफ आदेश दिनांक 27 जनवरी 2022 के कार्यान्वयन में भादूविप्रा द्वारा प्रदान की गई 2 महीने की समय-सीमा पर्याप्त नहीं है और सुझाव दिया कि टीएसपी

  
सलाहकार (एफ.एंड.ई.ए.)/Advisor (F&EA)  
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण  
Telecom Regulatory Authority of India  
महानगर दूरसंचार भवन / M.D.S. Bhawan  
नई दिल्ली-110002 / New Delhi-110002

को उसी दिन रिचार्ज करने के मुद्दे पर टीटीओ (66 संशोधन) आदेश और स्पष्टीकरण के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है।

### भाद्विप्रा के विचार:

मोटे तौर पर दो मुद्दे हैं जिन्हें दूरसंचार सेवा प्रदाताओ (टी. एस. पी.ज.) द्वारा उठाया गया है और जिन पर विचार करने की आवश्यकता है:

(i) यदि ग्राहक अपना रिचार्ज महीने की 31 तारीख को करता है तो रिचार्ज की अगली तारीख क्या होगी और अगर ग्राहक 29 जनवरी से 31 जनवरी के बीच किसी भी दिन वाउचर को रिचार्ज करता है तो रिचार्ज की अगली तारीख क्या होगी?

(ii) मेसर्स वीआईएल ने कहा है कि तकनीकी मुद्दों के कारण यानी मौजूदा चार भागीदारों को एक भागीदार के रूप में समेकित करना मई 2023 तक जारी रह सकता है, वे उसी दिन रिचार्ज वाउचर की आवश्यकता को चरणों में लागू करेंगे और इस दौरान उन्होंने विकल्प के रूप में सुझाव दिया था कि वे 31 दिनों का वाउचर लॉन्च कर सकते हैं जो ग्राहक के लिए फायदेमंद होगा।

इस मामले में यह प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि हर महीने की एक ही तारीख को रिचार्ज करने की यह प्रथा अन्य देशों में भी चलन में है, इसलिए हमने मेसर्स वेरिज़ोन (Verizon) के उपाय का अध्ययन किया है जो नीचे प्रस्तुत है:


"फरवरी के मामले में, यदि आपकी मासिक नवीनीकरण तिथि 29, 30 या 31 तारीख को है, तो हम उस महीने के अंतिम दिन पर आपके ऑटो पे द्वारा शुल्क प्राप्त करेंगे"।

उपरोक्त के आलोक में, सभी हितधारकों के अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने निम्नलिखित निर्णय लिए हैं:

(i) खंड 6 के उप-खंड (xii) को निम्नानुसार संशोधित करना:

" प्रत्येक दूरसंचार सेवा प्रदाता कम से कम एक प्लान वाउचर, एक स्पेशल टैरिफ वाउचर और एक कॉम्बो वाउचर की पेशकश करेगा जो हर महीने की एक ही तारीख को नवीकरणीय होगा और यदि इस तरह के नवीनीकरण की तारीख किसी महीने में उपलब्ध नहीं है, तो उस महीने की आखिरी तारीख नवीनीकरण की तारीख होगी।"

(ii) उपरोक्त संशोधन के साथ कार्यान्वयन की तिथि को 60 दिनों तक बढ़ाया जाएगा।



(कौशल किशोर)  
सलाहकार (एफ एंड ईए)

अस्वीकरण: यह दूरसंचार टैरिफ आदेश मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित दूरसंचार टैरिफ आदेश (सतासठवां संशोधन) का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति होती है तो अंग्रेजी में लिखित दूरसंचार टैरिफ आदेश (सतासठवां संशोधन) मान्य होगा।

कौशल किशोर / KAUSHAL KISHORE  
सलाहकार (एफ. एंड ई. ए.) / Advisor (F&EA)  
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण  
Telecom Regulatory Authority of India  
महानगर दूरसंचार भवन / M.D.S. Bhawan  
नई दिल्ली-110002 / New Delhi-110002